न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मुत.(6ए)संख्या 31 / 24 तारीख रज्जू–04 / 10 / 24

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह मीना – प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार पुत्र श्री हरिशंकर जंगम निवासी राजपूत मोहल्ला, नादौती। –अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

–: निर्णय :– दिनांक 12 / 11 / 24

प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 04 / 10 / 2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 26 / 09 / 2024 को घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत् मुख्य बस स्टैण्ड नादौती पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। जिसमें श्री राजकुमार जंगम (अप्रार्थी) से जब्तशुदा 01 बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन को समपहरण (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 26.09.2024 को घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत् मुख्य बस स्टैण्ड नादौती पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की।मौके पर श्री राजकुमार जंगम पुत्र श्री हरिशंकर जंगम निवासी राजपूत मौहल्ला , नादौती उपस्थित मिलें। जिन्होनें दुकान का निरीक्षण करवाया। निरीक्षण के दौरान मौके पर दुकान में एक बिना मार्का का छोटा गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन भण्डारित पाये गये। श्री राजकुमार से घरेलू गैस का भण्डारण एवं विक्रय से संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सबंधित किसी भी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। पूछताछ में श्री राजकुमार जंगम ने बताया कि वह गैस सिलेण्डर रिपेयरिंग का कार्य करता है। मौके पर उपस्थित श्री राजकुमार जंगम द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित 01 बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर– 2000 के क्लॉज 3 (c), 7 (1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है, साथ ही पेरोकार रसद ने उक्त जब्तशुदा 01 बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 के अर्न्तगत समपहरण (Confiscate) करने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने जबाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवदेन किया कि अप्रार्थी साइकिल रिपेयरिंग व मोटर वाइण्डिंग का कार्य करता है। प्रार्थी की दुकान किराये की है। दिनांक 26.09.2024 को प्रार्थी द्वारा घरेलु व्यावसायिक दुरूपयोग की रोकथाम हेतु अप्रार्थी की दुकान पर कार्यवाही कर एक छोटा बिना मार्का गैस का सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन को जप्त करना बताया है वह कार्यवाही पूर्णयता गलत रूप से विधि विरूद्ध की गयी है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दौराने फर्द जप्ती कार्यवाही मोके पर नहीं कर पुलिस का भय दिखाकर अप्रार्थी से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये गये थे। अप्रार्थी

केवल अपनी दुकान पर साइकिल रिपेयर व मोटर वाइण्डिंग व आटा चक्की रिपेयरिंग मिक्स रिपेयरिंग करने का कार्य करता है। अप्रार्थी अपनी दुकान पर किसी को भी गैस रिफलिंग का कार्य नहीं करता है। प्रार्थी के यहां से जो छोटा गैस सिलेण्डर जप्त किया है वह फूटा हुआ सलेण्डर है उसमें कोई गैस भरी हुई नहीं है। उक्त सिलेण्डर को प्रार्थी ने कवाडे वाले से अपनी पानी की कैन रखने के लिये लिया था तथा जो मोटर रिफलिंग की वतायी है वह प्रार्थी के पास अब से करीब दो साल पूर्व मोटर वाइण्डिंग के लिये आयी थी। तब से उसका ग्राहक उसे लेने नहीं आया और वह तभी से खराब पड़ी हुई है वह आज भी चालू स्थिति में नहीं है। अप्रार्थी का उक्त गैस सिलेण्डर व मोटर से किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अप्रार्थी से किसी प्रकार की कोई लिगल जप्ती नहीं हुई है। प्रार्थी से दुकान में रखा हुआ कवाडे का सामान जप्त किया है जिसके बारे में प्रार्थी ने निरीक्षक को उसी समय वता दिया था। परन्तु प्रर्वतक निरीक्षक ने गलत रूप से जवावदार के विरूद्ध उक्त मुकदमा वनाने के लिये विधि विरूद्ध डरा धमकाकर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर अपने मनमुताविक जप्ती तैयार की है। अप्रार्थी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एवं लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर का किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया है,साथ ही वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी (पेरोकार रसद) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 26.09.2024 को जॉच के दौरान 01 बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन जप्त किये जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा कहे गये कथन से होती है। अप्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर कबाडी से खरीदा था तथा गैस रिफलिंग मशीन मोटर बाइण्डिंग के लिए करीब दो साल पूर्व आना बताया है। लेकिन अप्रार्थी पक्ष द्वारा अपने कथन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, साथ ही अप्रार्थी द्वारा यह भी अवगत नहीं कराया गया है कि उक्त गैस रिफलिंग मशीन किस ग्राहक की है। पत्रावली में संलग्न फर्द अप्रार्थी के बयान में अप्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है कि वह गैस सिलेण्डर रिपेयरिंग का कार्य करता है तथा अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर रिपेयरिंग व भण्डारण संबंधित कोई भी दस्तावेज/राजस्व अभिलेख न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये 01 बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन को समपहरण **(Confiscation)**किया जाता है। जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 01 बिना मार्का का छोटा घरेलू गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफलिंग मशीन का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

12/11/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी